न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 85/16

1. हंसराज
2. कुम्भाराम
3. परसाराम
4. रतनलाल

पिसरान जगराम जाति कुम्हार निवासी गांव 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्रीगंगानगर दिनांक 08.08.2016

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता. रेस्पोडेंट

आदेश दिनांक : 11.02.2017

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पिता जगराम पुत्र विशनाराम के नाम से चक 15 एमएल के खाता संख्या 38/71 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 19 में 0.1942 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 में 0.1368 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 में 0.1368 हैक्टेयर व किला नम्बर 22 में 0.1982 हैक्टेयर कुल 0.6660 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी है जिसकी वसीयत जगराम द्वारा दिनांक 19.10.2015 को की गई एवं जगराम की मृत्युपरांत वसीयत दिनांक 21.03.2016 को खोली जाकर पंजीबद्ध की गई। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है एवं उनको बहस करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है अथवा नहीं का निर्धारण नामान्तरण में नहीं किया जा सकता है। नामान्तरण का प्रयोजन केवल राजस्व कर वसूली हेतु होता है। प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा अपीलार्थीगण के पास है और रेस्पो अपीलार्थीगण से ही राजस्व वसूल करता है। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से कानून की विहित प्रक्रिया की पालना में पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से सम्बन्धित रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner